रांची में, मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

1.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची की स्थापना हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि0) तथा झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जट्कॉल) को आवंटित हिस्सा पूँजी की राशि बैंक खाता में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–261 (b) को शिथिल करन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

3.	राज्य योजनान्तर्गत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधुपुर (देवघर) एवं महिला औ0प्र0सं0, देवघर की स्थापना के उपरांत संस्थान को कार्यरत करने हेतु कुल 02 (दो) राजपत्रित एवं 36 (छत्तीस) अराजपत्रित कुल 38 (अड़तीस) पदों के सृजन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

4.	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जिला स्तर से सत्यापित 1500 खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में स्थापित सोशल ऑडिट सेल के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति एवं रु0 241.50 लाख व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत। साथ ही राज्य में सोशल ऑडिट संबंधी कार्यों के एकरुपता के साथ निष्पादन हेतु योजना–सह–वित्त विभाग के अधीन एक विशेष निदेशालय के गठन करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।**

उद्योग, खान एवं भू–तत्व विभाग

5. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के आदित्यपुर क्षेत्र के 7वें फेज के मूलभूत संरचना के निर्माण योजना की कुल प्राक्कलित राशि रु0 39.28 करोड़ एवं 50% राशि रु0 19.64 करोड़ अनुदान की स्वीकृत क संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 के नियम 3.14 में संशोधन प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

7. राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड